



EPCH
हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्
Export Promotion Council for Handicrafts

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्
**EXPORT PROMOTION
COUNCIL FOR HANDICRAFTS**

EPCH HOUSE Pocket 6 & 7 Sector 'C', LSC, Vasant Kunj, New Delhi-110070
Tel: +91-11-26135256 Fax: +91-11-26135518 & 19 Email: mails@epch.com | www.epch.in

CIN U20299DL1955NPLO23253
GST NO: 07AAACE1747M1ZJ

प्रेस विज्ञप्ति

हस्तशिल्प एवं हथकरघा निकाय मंच ने 5% जीएसटी की अपील की

घरेलू बाजार को बढ़ावा, खुदरा श्रृंखला विस्तार और कैश एंड कैरी वृद्धि

दिल्ली/एनसीआर – 30 अगस्त 2025 – हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् (ईपीसीएच) ने भारत सरकार और जीएसटी परिषद् से सभी हस्तशिल्प और हथकरघा वस्तुओं पर जीएसटी दरों को एक समान 5% तक युक्तिसंगत बनाने का आग्रह किया है। परिषद् ने कहा कि यह क्षेत्र कुटीर-उद्योग प्रकृति का है, जो लाखों कारीगरों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की आजीविका का आधार है, और संगठित रिटेल तथा कैश-एंड-कैरी चैनलों के माध्यम से भारत के घरेलू बाज़ार की क्षमता खोलना समय की आवश्यकता है।

इस अपील में ईपीसीएच के साथ जुड़ते हुए, उद्योग और क्लस्टर निकायों के व्यापक संघों जिसमें मुरादाबाद से यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी (वाईईएस), मुरादाबाद हस्तशिल्प निर्यातक संघ (एमएचईए), कारीगर सोसायटी; ग्रेटर नोएडा से इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड (आईईएमएल), जोधपुर से जोधपुर हस्तशिल्प निर्यातक महासंघ (जेएचईएफ); जयपुर से फेडरेशन ऑफ राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स (फोरहेक्स), नरसापुर से ऑल इंडिया क्रोशिया लेस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन; सहारनपुर से सहारनपुर वुड कार्विंग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन; बेंगलोर से अखिल भारतीय अगरबत्ती मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन; आगरा से हस्तशिल्प निर्यातक संघ और कई अन्य ने हस्तशिल्प और हथकरघा वस्तुओं पर एक समान 5% जीएसटी की मांग करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं।

घरेलू मांग की गतिशीलता पर, ईपीसीएच के अध्यक्ष डॉ. नीरज खन्ना ने कहा, "हाल ही में अमेरिकी टैरिफ की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण निर्यात प्राप्ति में अनिश्चितता बढ़ गई है, ऐसे में सभी हस्तशिल्प वस्तुओं पर एक समान 5% जीएसटी लगाने से प्रामाणिक हस्तनिर्मित उत्पाद ज़्यादा भारतीय परिवारों की पहुँच में आ जाएँगे जिससे आधुनिक खुदरा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और शिल्प समूहों में आजीविका सुरक्षित होगी। हमारा ध्यान घरेलू स्तर पर मांग बढ़ाने पर भी है ताकि उत्पादक आत्मविश्वास से योजना बना सकें, बेहतर डिज़ाइन बना सकें और गुणवत्ता में निवेश कर सकें जिससे वे स्थायी रूप से विस्तार कर सकेंगे।"

जीएसटी ढाँचे का संदर्भ देते हुए, ईपीसीएच के मुख्य संरक्षक और आईईएमएल के अध्यक्ष, महानिदेशक डॉ. राकेश कुमार ने कहा, "हस्तशिल्प को सामग्री के आधार पर कई एचएस कोड अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे अध्याय 44 के तहत लकड़ी के उत्पाद, अध्याय 74 के तहत तांबे के उत्पाद आदि, जिससे एक खंडित जीएसटी संरचना बनती है जो वर्तमान में कुछ वस्तुओं पर शून्य और 5% से लेकर अन्य पर 12%, 18% और यहाँ तक कि 28% तक है। यह फैलाव शेल्फ की कीमतें बढ़ाता है, वर्गीकरण अनिश्चितताओं को पैदा करता है और मूल्य श्रृंखला में कारीगरों और एमएसएमई की कार्यशील पूंजी को अवरुद्ध करता है। जबकि निर्यात को जीएसटी ढाँचे के तहत शून्य दर का दर्जा प्राप्त है, तत्काल प्राथमिकता घरेलू क्षमता और खपत को अनलॉक करना है ताकि कारीगरों को साल भर स्थिर मांग का लाभ मिल सके।"

ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक, श्री आर. के. वर्मा ने कहा कि "दरों को 5% तक तर्कसंगत बनाने से सूक्ष्म उद्यमों के मार्जिन में सीधे तौर पर सुधार होता है, इन्वेंट्री टर्नअराउंड में तेज़ी आती है और कच्चे माल के लिए नकदी उपलब्ध होती है। एक ही दर से एचएस चैट्टरों में अस्पष्टता दूर होती है, कार्यशील पूंजी की रुकावटें कम होती हैं और दस्तकारी वाले एसकेयू का देशव्यापी वर्गीकरण संभव होता है। इससे भारतीय हस्तनिर्मित उत्पादों के लिए अधिक शेल्फ स्पेस उपलब्ध होगा और उत्पादक समूहों के लिए निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा।"

ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री आर. के. वर्मा ने बताया कि हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद देश से हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने और देश के विभिन्न हस्तशिल्प क्लस्टर्स में काम कर रहे लाखों कारीगरों के जादुई हाथों से बने उत्पादों – जैसे होम डेकोर, लाइफस्टाइल, टेक्सटाइल, फर्नीचर, फैशन जूलरी एवं एक्सेसरीज़ को वैश्विक ब्रांड बनाने की दिशा में कार्य करने वाली एक नोडल संस्थान है। उन्होंने बताया कि साल 2024-25 के दौरान हस्तशिल्प का कुल निर्यात ₹33,123 करोड़ (3,918 मिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

श्री आर. के. वर्मा, कार्यकारी निदेशक, ईपीसीएच

+91-9810679868



EPCH
हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्
Export Promotion Council for Handicrafts

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्
**EXPORT PROMOTION
COUNCIL FOR HANDICRAFTS**

EPCH HOUSE Pocket 6 & 7 Sector 'C', LSC, Vasant Kunj, New Delhi-110070
Tel: +91-11-26135256 Fax: +91-11-26135518 & 19 Email: mails@epch.com | www.epch.in

CIN U20299DL1955NPLO23253
GST NO: 07AAACE1747M1ZJ

PRESS RELEASE

Handicrafts & Handloom Bodies Forum Appeal GST @ 5%

Boost to Domestic Market and Retail Chain Expansion and Cash-and-Carry Growth

Delhi/NCR – 30th August'2025 – The Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH) has urged the Government of India and the GST Council to rationalize GST on all handicraft and handloom items to a uniform 5%, citing the sector's cottage-industry nature and its role in sustaining millions of artisan livelihoods especially women in rural clusters and the urgent need to unlock India's domestic market potential through organized retail and cash-and-carry channels.

Joining EPCH in this appeal, a broad coalition of industry and cluster bodies including Young Entrepreneur Society (YES), Moradabad Handicrafts Exporters Association (MHEA), Artisan Society from Moradabad; India Expo Mart Limited (IEML), Greater Noida; Jodhpur Handicrafts Exporters Federation (JHEF), Jodhpur; Federation of Rajasthan Handicraft Exporters (FORHEX), Jaipur; All India Crochet Lace Exporters Association, Narsapur; Saharanpur Wood Carving Manufacturers Associations, Saharanpur; All India Agarbathi Manufacturers Associations, Bangalore; Handicraft Exporters Association Agra and others have submitted representations seeking a uniform 5% GST on handicraft and handloom items.

On domestic demand dynamics, Dr. Neeraj Khanna, Chairman-EPCH, said "With recent US tariff headwinds adding uncertainty to export realizations, a uniform 5% GST across all handicraft items will bring authentic handmade products within reach of more Indian households, catalyze modern retail and secure livelihoods in craft clusters. Our focus is clear to grow demand at home so producers can plan confidently, invest in better design and quality, and scale sustainably".

Referencing the GST framework, Dr. Rakesh Kumar, Director General in the role of Chief Mentor – EPCH and Chairman – IEML shared "Handicrafts are classified across multiple HS code chapters by material like wooden products under Chapter 44, copper products under Chapter 74 etc leading to a fragmented GST structure that currently ranges from NIL and 5% on some items to 12%, 18%, and even 28% on others. This dispersion raises shelf prices, creates classification uncertainties and locks up working capital across artisan and MSME in value chain. While exports enjoy zero-rated status under the GST framework, the immediate priority is to unlock domestic potential and consumption so that the artisans benefit from steady year-round demands."

Shri R. K. Verma, Executive Director – EPCH said that "Rate rationalization to 5% directly improves margins for micro-enterprises, accelerates inventory turnarounds and frees cash for raw materials. A single rate removes ambiguity across HS chapters, reduces working-capital blockages and enables nationwide assortments of handcrafted SKUs. This outcome will lead to more shelf space for Indian handmade products and will lead to sustained growth for producer groups."

Export Promotion Council for Handicrafts is a nodal agency for promotion of exports of handicrafts from the Country and create brand image of magic of the gifted hands of millions of artisans and craftspersons engaged in production of home, lifestyle, textiles, fashion jewellery & accessories products in different craft clusters of the Country. The overall Handicrafts exports during the year 2024-25 was Rs. 33,123 Crores (US \$ 3,918 Million) informed by Shri R. K. Verma, Executive Director, EPCH.

For more information please contact:

Mr. R. K. Verma, Executive Director, EPCH
+91-9810679868

Encl: Hindi, English version